निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1938 (श0)

(सं0 पटना 121) पटना, वृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2017

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2017

एस0 ओ0 07, दिनांक 16 फरवरी 2017—राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा–22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ अनुदान में वृद्वि एवं नयी योजना को प्रारम्भ करने का प्रावधान करती है, जो निम्नवत् है:–

(क) (I). **मातृत्व लाभ**—निबंधित महिला निर्माण कामगारों के प्रथम दो प्रसव तक "शिशु जन्म प्रमाण–पत्र" अथवा "अस्पताल प्रसव प्रमाण–पत्र" के आधार पर प्रसव के बाद अनुदान की राशि को रूपये 1000/– को बढ़ाकर एकमुश्त रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र किया जाता है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।

(II). **पेंशन**—अटल पेंशन योजना से आच्छादित 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र के निबंधित निर्माण कामगारों को पेंशन देने हेतु रूपये 1,200/– (रूपये एक हजार दो सौ) मात्र का प्रीमियम राशि का वहन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाने का प्रावधान जो पूर्व से अधिसूचित है, के अतिरिक्त वैसे निर्माण कामगार जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात बोर्ड में निबंधित हुये हों, को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पेंशन के रूप में प्राप्त राशि रूपये 150/– प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) मात्र प्रतिमाह की जाती है, बशर्ते कि वे सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हों।

(III). **विकलांगता पेंशन**—निबंधित निर्माण कामगारों के लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि के द्वारा "स्थायी रूप से विकलांगता" की स्थिति में पेंशन की राशि रू0 150/– प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000/– प्रतिमाह तथा एकमुश्त अनुदान की राशि 5,000/– रूपया को बढ़ाकर "स्थायी पूर्ण निःशक्तता" की स्थिति में एकमुश्त रूपये 75,000/– तथा "स्थायी

आंशिक निःशक्तता" की स्थिति में एकमुश्त अनुदान रूपया 50,000/– की राशि भुगतान का प्रावधान किया जाता है।

(IV). **मृत्यु लाभ**—स्वाभाविक मृत्यु में निबंधित निर्माण कामगार के आश्रितों को अनुदान की राशि 15,000/– को बढ़ाकर 1,00,000/– (रूपये एक लाख) एवं दुर्घटना मृत्यु के मामले में रूपये 50,000/– को बढ़ाकर रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख) की जाती है। परन्तु यदि दुर्घटना मृत्यु आपदा के समय होती है एवं जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा दुर्घटना मृत्यु में मात्र रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) देने का प्रावधान किया जाता है।

(V). **नकद पुरस्कार**—प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के तीन निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र एवं एक पुत्री को, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, द्वारा आयोजित मैट्रीक परीक्षा में अपने जिला में अधिकतम अंक प्राप्त किया हो, को क्रमशः 1,000/– रूपये 750/– एवं रूपये 500/– को बढ़ाकर क्रमशः रूपये 25,000/– रूपये 15,000/– एवं रूपये 10,000/– के नकद पुरस्कार का प्रावधान किया जाता है। इस हेतु जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त कुल आवेदन में ही अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निर्माण कामगारों के पुत्र/पुत्री को नकद पुरस्कार के लिए चयनित किया जायेगा।

(VI). **लाभार्थी की चिकित्सा सहायता**—निबंधित निर्माण कामगार जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से सहायता प्राप्त नहीं किया हो, को असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2353(14) दिनांक 12.09.2006 सह–पठित संकल्प ज्ञापांक–752 (14) दिनांक 26.06.2015 द्वारा निर्धारित राशि के समतुल्य चिकित्सा सहायता देने का प्रावधान किया जाता है। इस सहायता के लिए विभाग द्वारा "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" में वर्णित अनुदान प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(VII). **शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता**—निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्रियों को आई. आई.टी./आई0आई0एम0/एम्स जैसे अन्य उत्कृष्ट कोटि के सरकारी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन के लिए दाखिला होने पर बोर्ड द्वारा उनके पूरे कोर्स का ट्युशन फीस एकमुश्त संबंधित सरकारी संस्थान को दिये जाने का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बी–टेक या समकक्ष कोर्स के अध्ययन के लिए भारतवर्ष में कहीं भी सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) मात्र तथा पोलिटेकनिक /नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र एवं सरकारी आई.टी.आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त रूपये 5,000/– (रूपये पॉच हजार) मात्र देने का प्रावधान किया जाता है।

(VIII). **विवाह के लिए वित्तीय सहायता**—तीन वर्ष के लगातार सदस्यता वाले निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम दो वयस्क पुत्रियों के अथवा स्वयं महिला सदस्यों के विवाह के लिए रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) मात्र की अनुदान राशि को बढ़ाकर रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) मात्र किया जाता है। परन्तु दूसरी शादी करने वाले निर्माण श्रमिक इस लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह अनुदान योजना अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।

(ख). **भवन निर्माण/मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना**—बोर्ड द्वारा पूर्व से संचालित भवन निर्माण/मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना को अलग–अलग योजनाओं में निम्नानुसार विखंडित किया जाता है:–

(I) **भवन मरम्मति अनुदान योजना**—इस अनुदान हेतु एकमुश्त रूपया 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) भुगतान करने का प्रावधान किया जाता है। निबंधित निर्माण कामगार जो बोर्ड में तीन वर्षो की लगातार सदस्यता पूरी कर लिये होंगे, वही इस अनुदान की पात्रता रखेंगे। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अवधि में एक ही बार यह अनुदान देय है अतः जिन कामगारों को पूर्व में भवन निर्माण/मरम्मति औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चूका है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।

(II) **साईकिल क्रय अनुदान योजना**—अहर्ता प्राप्त लाभुकों को साईकिल क्रय हेतु जिलों में कैम्प आयोजित कर अधिकतम रूपये 4,000/– (रूपये चार हजार मात्र) का कूपन देय होगा। उसी शिविर में लाभुक द्वारा कूपन के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित Basic Equipment एवं Specification को पूरा करने वाले एजेंसी से ही साईकिल क्रय किया जायेगा। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अवधि में एक ही बार यह अनुदान देय है

अतः जिन कामगारों को पूर्व में साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चूका है उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।

(III) **औजार क्रय अनुदान योजना**—अहर्ता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों के कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोंपरान्त उनके प्रशिक्षण सें संबंधित व्यवसाय (Tradc) का हीं अधिकतम रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का औजार (Tools) देने का प्रावधान किया जाता है।

उपरोक्त सभी अनुदान योजनाओं में आवेदन देने की प्रक्रिया तथा स्वीकृति के सक्षम प्राधिकार के बिन्दु पर आदेश निर्गत करने हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त योजनाओं के लिए अन्य शर्ते जो कि"**बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) नियमावली 2005 एवं "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2016** में परिभाषित है", पूर्ववत् रहेगी।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2016 के नियम 267 के उपनियम (1) एवं (2) के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित निर्माण कामगारों को प्रतिमाह देय अंशदान की राशि रू0 0.50 (पचास पैसे) मात्र प्रतिमाह के प्रावधान से वे निबंधित निर्माण कामगार भी आच्छादित होंगें जिनके सदस्यता में पूर्व में अंशदान न जमा किये जाने के कारण टूट हो गयी है, बशर्ते उनकी सदस्यता में दो बार से अधिक टूट न हुई हो।

(सं० बी.सी.डब्लू.सी.–62/2014–34श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
उप–सचिव।

---

16 जनवरी 2017

एस0ओ0 08, एस0 ओ0 07, दिनांक 16 फरवरी 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० बी.सी.डब्लू.सी.–62/2014–34श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
उप–सचिव।

The 16th January 2017

S.o. 07, dated 16th February 2017—In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 (27 of 1996), and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes following provisions to enhance the grants and to initiate new schemes for the welfare of registered Construction Workers and their dependents:-

(A)(i). ***Maternity Benefit.***— Amount of grant payable after delivery of first two child of the registered female construction worker on the basis of 'Birth Certificate' of child or the 'Certificate issued by the Hospital' for the same, is enhanced from Rs. 1000/-(Rupees One thousand) to Rs. 10,000/-(Rupees Ten thousand). This grant will be additional to the grant of the Health, Social Welfare Department, or any other Department of Government of Bihar.

(ii). ***Pension***— As notified earlier, under Atal Pension Scheme, the Board would pay premium amount of Rs. 1200/-(Rupees One thousand two hundred) for registered Construction Workers between the age group of 18 years and 40 years. However, for those construction workers who get registered in Board after attaining the age of 40 years, will get a pension amount of Rs. 1000/-(Rupees One thousand) per month after attaining 60 years of age. Earlier the pension amount for these workers were Rs. 150/- (Rupees One hundred fifty) per month.